W.R

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टीए./6253/2013/अलवर

कंवरपाल पुत्र गीलाराम जाति मीणा निवासी ग्राम परवेणी तहसील राजगढ़ जिला अजमेर ।

–प्रार्थी

बनाम

1. चम्पालाल 2. दुलीचंद 3. मुकेशचंद	पुत्रगण मदनलाल

4. मु0 जल्ली बेवा मदनलाल
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम परवेणी तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।
5. अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 राजगढ़ जिला अलवर
6. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 रेणी जिला अलवर ।
7. कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 रैणी जिला अलवर ।

अप्रार्थीगण

एकल–पीठ
श्री आर.सी. गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–
श्री राघवेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी
श्री शैलेन्द्र राणा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1 से 4 के

निर्णय

दिनांकः 31–03–2013

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 धारा के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2– आलोच्य आदेशानुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी प्रतिवादी की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित करते हुए उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–1–2013 का प्रचलन बिजली कनेक्शन की हद तक निरस्त कर प्रकरण दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया है ।

3— योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व विवादग्रस्त आराजी बाबत एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 का उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके साथ एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दानपुर में स्थित विवादित आराजी के किसी विशिष्ठ भाग पर तन्हा कब्जा नहीं करे बिना सहमति कोई बोरिंग नहीं कराये, ना ही विद्युत पम्प सेट फिट करे एवं ना ही कनेक्शन करायें तथा ना ही वादी को उसके हिस्सा मुताबिक कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत करे । उपखण्ड अधिकारी ने उक्त प्रार्थना—पत्र पर एकपक्षीय आदेश दिनांक 29—1—2013 पारित करते हुए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कर दिया ।

उक्त निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी/प्रतिवादी चम्पालाल द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां प्रस्तुत की गई जिसके साथ स्थगन प्रार्थना—पत्र व धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना—पत्र भी प्रस्तुत किया गया । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 31—7—2013 से विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी संयुक्त कब्जे काश्त की है एवं बंटवारा अभी नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी उसके हिस्से की आराजी में रूकावट पैदा कर स्वयं कब्जा करना चाहते हैं । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना सुनवाई का नोटिस दिए एकतरफा में स्थगन आदेश पारित किया है तथा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के उपरान्त भी उसे क्षमा कर दिया जब कि अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर देनी चाहिए थी । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों एवं आपत्तियों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2008 आर.आर.डी. पृष्ठ 256, 2010 आर.आर.डी. पृष्ठ 14 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए । अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय निरस्त कर विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे ।

4— अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—7—2013 के विरूद्ध यह

निगरानी प्रस्तुत की गई है। जो एक अन्तरिम आदेश है, अन्तिम आदेश नहीं है वह केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आने के कारण निगरानी के माध्यम से चुनौती योग्य नहीं है। अतः निगरानी मण्डल में चलने येाग्य नहीं होने से निरस्त की जावे।योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 से 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र पर विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है, जो निर्णीत प्रकरण की श्रेणी में नहीं होने से निगरानी संधारण योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अंतिम रूप से अपील का निस्तारण नहीं किया है बल्कि दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु विचारण न्यायालय रिमाण्ड करने का आदेश दिया है । उक्त आदेश अन्तरिम आदेश की परिभाषा में आता है और ऐसे अन्तरिम आदेश के विरूद्व मण्डल में निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तनीय है।

5– हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का एवं न्यायिक दृष्टांतों का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

6– विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा दावे के साथ अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय सुनवाई कर अप्रार्थी को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेश देते हुए नोटिस जारी किए । उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । **प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनकर** विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 29–1–2013 का प्रचलन बिजली कनेक्शन की हद तक निरस्त किया है शेष आदेश यथावत रखा है एवं दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया है । **उक्त आदेश से व्यथित होकर** प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है और उन्होंने कहा है कि अपीलीय न्यायालय के अनाधिकृत, अविधिकपूर्ण एंव अधिकारक्षेत्र से बाहर जाकर किए गए न्यायिक निर्णयों को अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देने की सक्षमता राजस्व मण्डल में निहित है। उक्त विधिक स्थिति को समझने के लिए अधिनियम की धारा 230 को उद्धरित करना हम उचित समझते हैं ।

> **230- Power of the Board to call for cases-** The Board may call for the record of any cases decided by any

subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-

(a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or

(b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity.

Board may pass such orders in the cases as it thinks fit.

आर.बी.जे. (14) 2007 पृष्ठ 134 उनवानी मु0 चाहना बनाम हनुवन्त सिंह के पेरा संख्या 8 व 9 में राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ ने यह अभिमत प्रकट किया है कि–

(8) पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपना निर्णय दिनांक 3–2–12 उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय की पत्रावली मंगाये बगैर ही पारित कर दिया है । कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय परीक्षण न्यायालय का रिकार्ड मंगाये बिना निर्णय पारित नहीं कर सकती। अधिनियम की धारा 212 के तहत परीक्षण न्यायालय द्वारा एकतरफा में पारित किया गया आदेश के विरूद्व व्यथित पक्षकार चाहे तो उसी न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिरम स्थगन आदेश को निरस्त कराने की चाराजोही कर सकता है और विकल्प में यदि ऐसे एकतरफा आदेश के विरूद्व विचारण न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 39 नियम 3–ए के अन्तर्गत नियत अवधि में एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश का निस्तारण नहीं किया जावे तो अपीलीय न्यायालय में जाकर अपील प्रस्तुत कर स्थगन के संबंध में आदेश प्राप्त कर सकता है । वर्तमान स्थगन आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 225 के तहत अपील प्रस्तुत की ।

परीक्षण न्यायालय के आदेश की प्रथम अपील की सुनवाई करते समय प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व है कि वह दोनों पक्षकारों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब कर प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का अन्वेक्षण व विचार कर उसे गुणावगुण पर निर्णित करें । अधिनियम की धारा 212 के तहत परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब किए बगैर ही उसे पुनः परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिए जाने का अपीलीय अदालत का आदेश अधिनियम की धारा 225 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है व निरस्तनीय है । '' अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय है।

7— हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **आर.आर.डी. 2008 पृष्ठ 256** उनवान भंवरबाई—मोहनकंवर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य का अवलोकन किया। उक्त निर्णय के पेरा संख्या 8 में माननीय एकलपीठ ने निम्नांकित अभिमत प्रकट दिया है —

इस प्रकरण में मूल रूप में प्रार्थी ने अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना—पत्र के निस्तारण से है । उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 29—1—2013 से यह प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया था जिसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की गई । राजस्व अपील अधिकारी ने अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना—पत्र पर किसी प्रकार का निर्णय दिए बगैर उपखण्ड अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया । इस संबंध में प्रार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है —

> **1988 R.R.D page 311** : " Civil Procedure Code, Order 41, Rules 23, 23A & 25 - An appellate authority does not has power in miscellaneous proceedings to pass an order of remand."
>
> **1988 R.R.D page 315**: "Civil Procedure Code, Order 41, Rules 23, 23A & 25 - In appeals against interlocutory matters like injunctions etc. powers of remand in not available to appellate court
>
> "Civil P.C(5 of 1908) , Ss 107,141,151; O.41 Rr. 23, 23A, 25- appellate court powers - Scope- appeals against miscellaneous application- Court cannot remand the matter under Rr 23, 23A&25 of O. 41"

उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना'—पत्र मिसलेनियस प्रोसिडिंग की श्रेणी में आता है जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड नहीं किया जा सकता वरन् राजस्व अपील अधिकारी को स्वयं गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए । चूंकि इस मामले में राजस्व अपील अधिकारी ने अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र को स्वयं के स्तर पर निर्णित नहीं कर प्रतिप्रेषित किया है जो उचित नहीं कहा जा सकता ।

8— इस संबंध में राजस्व मण्डल की पूर्णपीठ (Full Bench) ने अपने निर्णय दिनांक 12—3—14 द्वारा विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के संबंध में पेरा 77 व 78 में दिशा—निर्देश दिए गए हैं उनको भी विचारण न्यायालय एवं

अपीलीय न्यायालय द्वारा पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए जिसे यहां उद्धरित किया जा रहा है –

77- Guidelines for the Trial Courts:-

(1) The courts should, in general, desist from passing ad-interim ex-parte orders of temporary injunction, but, if circumstances so warrant an order may be passed ex-parte, after meticulously examining the material produced before it on the touch stone of the three vital ingredients like prima facie case, balance of convenience and threat of irreparable loss before issuance of any order.

(2) If the facts and circumstances of the case so warrant, an ex-parte ad-interim order may be passed but such an order should necessarily be a speaking and reasoned order which may last for the next date of hearing.

(3) The party against whom such an ex-parte order is being passed should be informed invariably by registered post on the day of order itself, complying with the provisions contained in clauses (a) and (b) of proviso to Rule 3 of order 39 of the Code.

(4) The Trial Court shall be under obligation to dispose of the application of temporary injunction on merits within 30 days of passing such ex parte order as per Rule 3-A of Order 39 of the Code.

(5) There is no provision in Section 212 of the Act or in Order 40 of the Code for passing an order of appointment of receiver without hearing the opposite party, therefore, a Revenue Court has no mandate to pass an ex-parte order of appointment of receiver. In case of urgency or where the court finds it appropriate to appoint a receiver in larger interest of justice, the service of summons be accelerated by an effective and quick mode.

78- Guidelines for the Appellate Courts:

(1) On the outset, every Appellate Court is duty bound to examine the issue of limitation, if any, in the appeal. If the appeal is time barred the stay application can be considered only in the light of the mandatory provisions of Order 41 Rule 3A of the Code. Meaning thereby, no ad-interim ex-parte stay order can be passed without hearing the opposite party in time bared appeals.

(2) The Appellate Courts have no jurisdiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte orders which are effective only till next date of hearing and have been passed under Rule 3 and 3A of Order 39 of the Code or where there is no order of the trial court on the application of temporary injunction or appointment of receiver.

(3) The Appellate Court is expected to examine as to whether its interference with the impugned order of the Trial Court will serve a justifiable purpose and curb the multiplicity of the proceedings between the parties. The courts are meant to mitigate the hostilities between/ amongst litigating parties, and they are not to add the fuel to fire. Therefore, their every action should aim at this objective.

(4) The Appellate Court has to use its jurisdiction in a just and balanced manner. Indiscriminate and casual interference in the Trial Court's functioning by the Appellate Court is unwarranted. The Appellate Court should ensure that its stay order will not result in court's protection to a wrong doer or will not lead to legal complications?

(5) The trial court is a court of original jurisdiction and the parties are expected to furnish their evidence before it. On the basis of initial evidence, the Trial Court passes an ad-interim ex-parte order for maintaining status quo of possession and record or for restraining the parties not to alienate the disputed land. Generally, such orders are made effective till the next date of hearing. In such cases, the Appellate Court is expected to interfere only when there is a manifest illegality or perversity in the impugned order. The Appellate Court should direct the appellants to raise their contentions before the Lower Court.

(6) A new trend has emerged that when the Trial Court chooses not to pass an ad-interim ex-parte order on an application of temporary injunction, and issues notices to the non-applicants to appear and to file their objections, if any, on the next date of hearing, in the meantime the applicant prefers an appeal before the First Appellate Court to obtain the interim order of temporary injunction. In such cases, where the proceedings are still in progress with the Trial Court and no order has been passed either way, there is no reason to unnecessarily disturb the independent functioning of the Trial Court. In appropriate cases directions for early disposal of such applications can be given.

(7) The Appellate Courts are the courts of appeal and they are expected to respect the independent functioning of the Trial Court. Wherever the Trial Court goes astray or flout the basic provisions of law, the Appellate Court can interfere with such orders explaining the infirmities of the Trial Court's order. This is a general presumption that Trial Courts being in proximity to the disputed land have better awareness and access about the relevant record, evidence and circumstances of the case. Therefore, the trial court should be given full functional liberty to decide the temporary injunction/ stay applications on merits.

उक्त न्यायिक दृष्टांतों के के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पह पहुॅचते है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना–पत्र को प्रतिप्रेषित करने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र के प्रकरण को आंशिक रूप से स्वीकार कर एवं शेष बिन्दुओं पर अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर विधिक प्रावधानों के विरूद्व निर्णय पारित किया है । अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय को पुनः परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निगराधीन निर्णय दिनांक 31–7–2013 अपास्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ अलवर को आदेश दिए जाते हैं कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर उनके यहां विचाराधीन प्रार्थना–पत्र को इस निर्णय के दो माह में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.सी.गुप्ता)
सदस्य